



2026/AHC:55530

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 34/2026

संजय @ संजीव @ संजू

.....आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रधान सचिव, गृह मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता

:

अर्चना सिंह

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता

:

सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 70

माननीय न्यायमूर्ति संतोष राय

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि उनका राज्य की ओर से दायर प्रतिवाद हलफनामे के जवाब में प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने का कोई इरादा नहीं है और वे मामले पर बहस करने के लिए तैयार हैं।

2. हमने आवेदक की ओर से विद्वान पैनल अधिवक्ता सुश्री अर्चना सिंह और राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान एजीए श्री श्याम नारायण राय की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. यह जमानत याचिका अभियुक्त-आवेदक संजय उर्फ संजीव उर्फ संजू की ओर से दायर की गई है, जिसमें मुकदमे की सुनवाई के दौरान आईपीसी की धारा 307, 504, 506 और 120बी के तहत मुकदमा संख्या 856/2023 में जमानत पर रिहाई की मांग की गई है। यह मामला पुलिस स्टेशन कासगंज, जिला कासगंज में दर्ज है।

4. संक्षेप में, एफआईआर में लगाए गए आरोप के अनुसार, आरोपी-आवेदक और सह-आरोपी मुकेश ने घायल प्रेमचंद्र को धारदार हथियार (चाकू) और हंसिया (हसिया) से चोट पहुंचाई है।

5. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा कि उन्होंने एफआईआर में लगाए गए आरोपों के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है। उन्होंने आगे कहा कि एफआईआर या घायल प्रेमचंद्र के बयान में आरोपी-आवेदक की कोई विशिष्ट भूमिका स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई है, जबकि मुकेश की भूमिका स्पष्ट रूप से प्रेमचंद्र के पेट में धारदार हथियार (चाकू) से चोट पहुंचाने के संबंध में बताई गई है। अभियुक्त-आवेदक को हाथ में हंसिया (हसिया) रखने की भूमिका सौंपी गई है। इसके अलावा, घायल प्रेमचंद्र ने स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा है कि अभियुक्त-आवेदक ने हंसिया (हसिया) से उसके शरीर के महत्वपूर्ण अंग पर धारदार हथियार से चोट पहुंचाई है। वह आगे निवेदन करता है कि सह-आरोपी मुकेश उर्फ रामकिशोर, जिसकी भूमिका भी ऐसी ही है, को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 12.04.2024 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 13178/2024 में पारित आदेश के माध्यम से पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है। इसके अलावा, आरोपी-आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 17.12.2023 से जेल में है। साथ ही, विद्वान अटॉर्नी जनरल के निवेदन के अनुसार, इस मामले में आरोपपत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है। निवेदन यह है कि मुकदमे की सुनवाई में काफी समय लगेगा और जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्याय प्रक्रिया से भागने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए, जमानत की प्रार्थना की गई है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. इसके विपरीत, विद्वान ए0जी0ए0 ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि प्री-ट्रायल चरण में आवेदक की निर्दोषता का निर्णय नहीं किया जा सकता, इसलिए वह किसी भी प्रकार की रियायत का पात्र नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से इसी प्रकार की गतिविधियों में लिप्त होगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा।

7. इस बात पर विचार करने के बाद कि यद्यपि अभियुक्त-आवेदक का नाम सह-आरोपी मुकेश के साथ एफ0आई0आर0 में है, लेकिन एफ0आई0आर0 में या घायल प्रेमचंद्र के बयान में, चोट पहुंचाने के संबंध में अभियुक्त-आवेदक की कोई विशिष्ट और स्पष्ट भूमिका स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं की गई है। नई दिल्ली स्थित एम्स में तैयार की गई घायल प्रेमचंद्र की चिकित्सा रिपोर्ट में केवल एक घाव/चाकू का घाव दर्ज किया गया था। इसी तरह की भूमिका निभाने वाले सह-आरोपी मुकेश उर्फ रामकिशोर को पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है। विद्वान अटॉर्नी जनरल के निवेदन के अनुसार, इस मामले में पहले ही आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए अभियोजन पक्ष के गवाहों को डराने-धमकाने और उन पर दबाव डालने की कोई संभावना नहीं है। अभियुक्त-आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह दो साल से अधिक समय से जेल में है तथा मुकदमे के निष्कर्ष को लेकर अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए; भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक जनादेश को ध्यान में रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय के *मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय (2024 (एस0सी0) मुकदमा 677)* मामले में पैराग्राफ संख्या 53, *संघ ऑफ इंडिया बनाम के.ए. नजीब (2021) 3 एस0सी0सी0 713* और *सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य (2022) 10 एस0सी0सी0 51* में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर विचार करते हुए, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, उपर्युक्त अपराध में आरोपित आवेदक को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए कि :-

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



- (i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही गवाहों को धमकाएगा।
 - (ii) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों।
 - (iii) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहेगा, या तो स्वयं या संबंधित न्यायालय द्वारा निर्देशित अनुसार।
 - (iv) आवेदक को ट्रायल कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से निम्नलिखित तिथियों पर उपस्थित रहना होगा: (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप निर्धारण और (iii) आरोपी का व्यक्तिगत बयान दर्ज करना ताकि वह अपने विरुद्ध साक्ष्यों में प्रकट होने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट कर सके।
 - (v) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, तो अवर न्यायालय उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्यवाही शुरू करेगी।
8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह अवर न्यायालय द्वारा जमानत रद्द करने का आधार होगा।
9. जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



10. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति संबंधित अवर न्यायालय को 24 घंटे के भीतर ईमेल/फैक्स द्वारा भेज दे।

(संतोष राय, न्यायमूर्ति)

18 मार्च 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"